**Date – 27 August 2022**

# कुशियारा नदी के अंतरिम जल बंटवारे पर समझौता ज्ञापन

- हाल ही में, भारत और बांग्लादेश ने कुशियारा नदी के अंतरिम जल बंटवारे पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) के पाठ को अंतिम रूप दिया है।

## एमओयू की मुख्य विशेषताएं

- भारत और बांग्लादेश के मंत्रिस्तरीय संयुक्त नदी आयोग (जेआरसी) की 38वीं बैठक के दौरान इसे अंतिम रूप दिया गया।
- इसने अक्टूबर 2019 के भारत-बांग्लादेश समझौता ज्ञापन के अनुसार त्रिपुरा के सबरूम शहर की पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए फेनी नदी पर पानी के सेवन बिंदु के डिजाइन और स्थान को अंतिम रूप देने का स्वागत किया।
- इसके अलावा, आपसी हित के कई चल रहे द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें आम नदियों के जल-बंटवारे, बाढ़ के आंकड़ों को साझा करना, नदी प्रदूषण को संबोधित करना, अवसादन प्रबंधन पर संयुक्त अध्ययन करना, नदी तट संरक्षण कार्य आदि शामिल हैं।

## संयुक्त नदी आयोग

- भारत और बांग्लादेश के संयुक्त नदी आयोग का गठन वर्ष 1972 में एक द्विपक्षीय तंत्र के रूप में किया गया था ताकि साझा/सीमा/बाउन्ड्री नदियों पर आपसी हित के मुद्दों का समाधान किया जा सके।
- जेआरसी का नेतृत्व दोनों देशों के जल संसाधन मंत्री करते हैं।

## महत्व:

- यह बारह वर्षों के लंबे अंतराल के बाद शुरू हो रहा है, हालांकि जेआरसी के ढांचे के तहत तकनीकी बातचीत अंतरिम रूप से जारी है।
- चूंकि भारत और बांग्लादेश 54 नदियों को साझा करते हैं, जिनमें से सात की पहचान पहले प्राथमिकता के आधार पर जल-साझाकरण समझौतों की रूपरेखा विकसित करने के लिए की गई है।
- नवीनतम बैठक के दौरान, वे डेटा विनिमय के लिए आठ और नदियों को शामिल करने पर सहमत हुए।

## परिणाम:

- इसमें दोनों देशों, विशेष रूप से गंगा, तीस्ता, मनु, मुहुरी, खोवाई, गुमटी, धरला, दूधकुमार, और कुशियारा के बीच साझा नदियों से संबंधित मुद्दों के सभी पहलुओं पर चर्चा की गई।
- इसके अलावा बाढ़ से संबंधित आंकड़ों और सूचनाओं के आदान-प्रदान, नदी तट संरक्षण कार्यों, संयुक्त बेसिन प्रबंधन और भारतीय नदी को जोड़ने की परियोजना पर विस्तार से चर्चा की गई.
- यह अंतरिम जल बंटवारे समझौते के प्रारूप ढांचे को तैयार करने की दिशा में डेटा और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए कुछ और सामान्य नदियों को शुरू करने पर सहमत हुआ।

## कुशियारा नदी

- कुशियारा नदी बांग्लादेश और असम में एक वितरण नदी है।
- यह भारत-बांग्लादेश सीमा पर बराक नदी की एक शाखा के रूप में बनता है जब बराक कुशियारा और सूरमा में अलग हो जाता है।
- कुशियारा का पानी मणिपुर, मिजोरम और असम से सहायक नदियाँ उठाता है।
- कुशियारा अजमीरीगंज उपजिला (बांग्लादेश) में मारकुली में सूरमा के साथ फिर से जुड़ती है और कालनी नाम प्राप्त करते हुए भैरब बाजार (बांग्लादेश) तक दक्षिण की ओर बहती है।
- कालनी सूरमा की एक शाखा धनु (बांग्लादेश) से मिलती है और इसका नाम बदलकर मेघना कर दिया गया।

## फेनी नदी

- फेनी नदी, जिसे बंगाली में फेनी नोडी के नाम से भी जाना जाता है, भारत-बांग्लादेश सीमा का हिस्सा है।

- यह दक्षिण त्रिपुरा जिले से निकलती है, भारत की ओर सबरूम शहर से गुजरती है, और बांग्लादेश में बहने के बाद बंगाल की खाड़ी से मिलती है
- इस नदी के पास के शहरों में रहने वाले लोगों के लिए इसका कृषि महत्व बहुत अधिक है।
- यह नदी उनकी आजीविका का भी स्रोत है जिसके माध्यम से वे अपनी फसलों को इसके पानी से सींचना और अपने नियमित उपयोग के लिए पानी का उपयोग करने जैसे कई लाभ प्राप्त करते हैं।
- मैत्री सेतु, फेनी नदी पर 9 किमी लंबा पुल भारत-बांग्लादेश को जोड़ने के लिए त्रिपुरा में बनाया गया है।

**स्वदीप कुमार**

## मेघालय के कोयला खानों में दुर्घटना, एक की मृत्यु और एक घायल

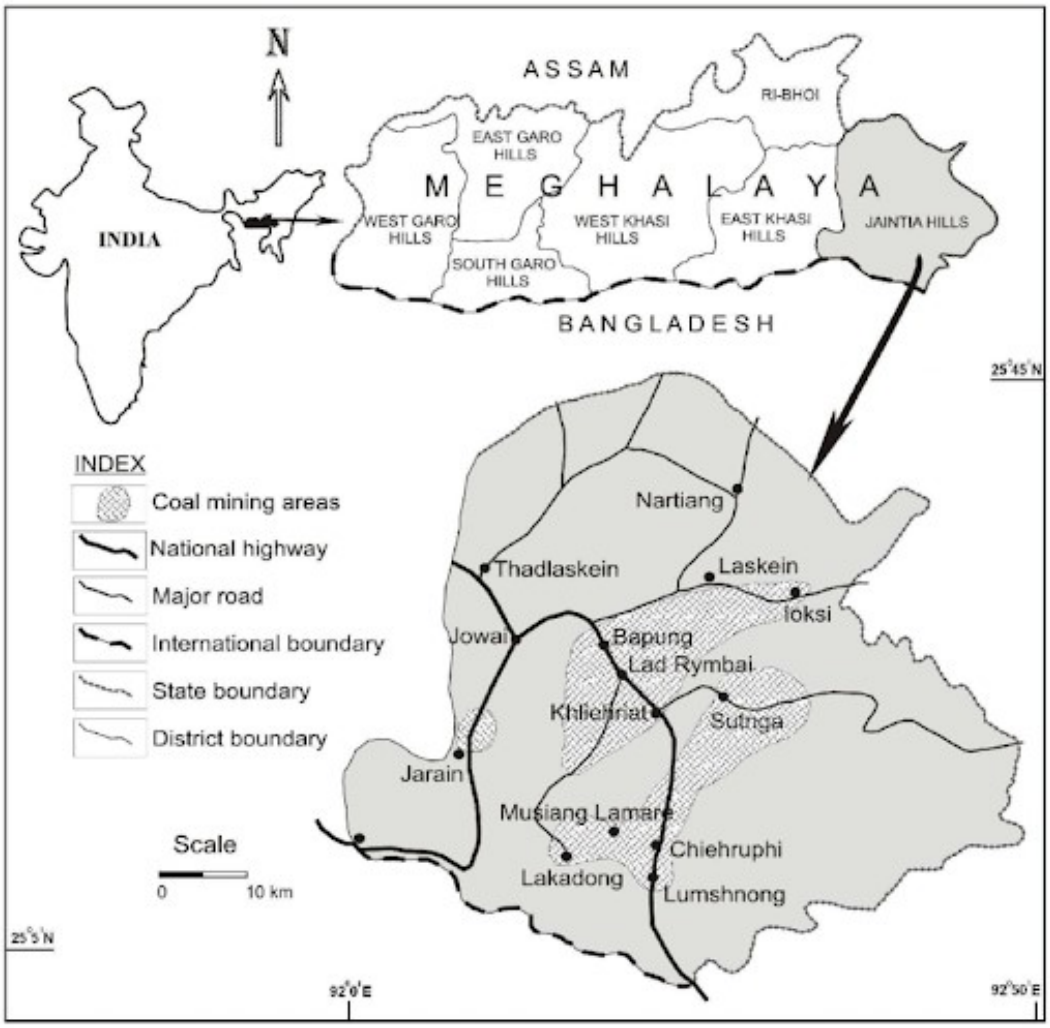

**20 अगस्त 2022**

## मेघालय के कोयला खानों में दुर्घटना, एक की मृत्यु और एक घायल।

मेघालय में केवल दो खनिज कोयला व चूना पत्थर की खान है। यह जयन्तिया, गारो पहाड़ी, पूर्वी खासी, पश्चिमी खासी पहाड़ियों में फैली हुई है। यह खदानें मुख्यतया स्थानीय आदिवासियों के निजी भूमि में स्थित हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा मेघालय की कोयला खदानों में अवैध खनन को 2014 में प्रतिबंधित किया गया। जो वहां कार्य कर रहे लोगों व पर्यावरण के लिए खतरनाक है। इसके बावजूद एन. जी. टी. ने खुदे हुए कोयले के परिवहन को मंजूरी दी है। जो मेघालय की खानों के अवैध खनन को बढ़ावा देता है।

### रैट होल खनन क्यों प्रतिबंधित है?

1980 से रैट होल खनन मेघालय में कोयला खनन की स्थानीय प्रचलित तकनीक है।

### एन. जी. टी. क्या है?

- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को स्थापित हुआ।
- पर्यावरणीय सुरक्षा, वन संरक्षण और प्राकृतिक संपदा से संबंधित प्रभावी व शीघ्र निपटान के लिए इसे प्रारंभ किया गया था।
- नई दिल्ली इस का न्यायाधिकरण स्थल है। इसके साथ भोपाल, पूणे, चेन्नई व कोलकाता इसके अन्य स्थल होंगे।
- **एन. जी. टी. की संरचना-**
  1. अध्यक्ष
  2. न्यायिक सदस्य
  3. विशेषज्ञ
- यह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्रतिबंधित नहीं है। पर यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर उसे गाइड कर सकता है।
- एन. जी. टी. को न्याय के त्वरित निपटान के लिए 6 महीने में निर्णय करना अनिवार्य है।
- एन. जी. टी. के प्रारंभ के समय विश्व को विशेष पर्यावरणीय योगदान देने वाला ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैण्ड के बाद भारत विश्व का तीसरा देश व प्रथम विकासशील देश था।
- एन. जी. टी. में पर्यावरण से संबंधित सिविल केसों के सात कानून शामिल हैं। जिनमें –
  1. जल (प्रदूषण नियंत्रण और निवारण) अधिनियम, 1974
  2. जल( प्रदूषण नियंत्रण और निवारण) उपकर अधिनियम, 1977
  3. वन संरक्षण अधिनियम, 1980
  4. वायु(प्रदूषण नियंत्रण और निवारण) अधिनियम, 1981
  5. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
  6. लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991
  7. जैव विविदता अधिनियम, 2002
- इन कानूनों के तहत सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को एन. जी. टी. के समक्ष चुनौती दे सकता है।

**मेघालय में किस प्रकार का कोल पाया जाता है।**

मेघालय में सामान्यतः मध्यम से उच्च सल्फर, सी.वी. और अन्य खनिज युक्त सब-बिटुमन प्रकार का कोयला प्राप्त होता है। जयन्तिया पहाड़ी में अर्पेटाइट, पूर्वी व पश्चिमी गारो पहाड़ी, जयन्तिया पहाड़ी व पूर्वी खासी पहाड़ी जिले में चायना क्ले, पूर्वी खासी पहाड़ी जिले में कॉपर, लैड जिंक,सिल्वर व टाइटेनियम, पूर्वी गारो पहाड़ी और जयन्तिया पहाड़ी पर फैल्सर व रॉक फॉस्फेट, पूर्वी खासी व पश्चिमी गारो में फायर क्ले, पश्चिमी खासी जिले में ग्रेनाइट, पूर्वी गारो पहाड़ी जिले में आयरन व मेग्नाइट, पूर्वी व पश्चिमी गारो और पूर्वी खासी पहाड़ियों में क्वार्टज व सिलिका सैंड, पश्चिमी खासी पहाड़ी जिले में सिलिमेनाइट प्राप्त होती है।

**निष्कर्ष-**

सरकार द्वारा पर्यावरण व यीव जंतुओं की भलाई के लिए रैट होल प्रकार के कोयला खदान को प्रतिबंधित करने के बावजूद स्थानीय निवासियों द्वारा रैट होल प्रकार का उत्खनन किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप पर्यापरण का हनन व स्थानीय निवासियों की जान माल का नुकसान हो रहा है। न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को पुरानी खदानों के कोयले को खत्म करने व वर्तमान में कोई भी नई खदान न करने के निर्देश दिए हैं।

**गुंजन जोशी**

# पूर्वोत्तर से AFSPA को हटाने की समीक्षा

## संदर्भ क्या है?

- केन्द्र सरकार ने 4 दिसंबर, 2021 को नागालैंड से AFSPA को वापस लेने की समीक्षा के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया। इस समिति का गठन किया गया है क्योंकि नागालैंड में सेना द्वारा 6 नागरिक मारे गए थे।
- यह नागालैंड से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) को वापस लेने की संभावना की जांच करेगा।

## AFSPA क्या है?

- सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम भारतीय संसद द्वारा 11 सितम्बर 1958 को पारित किया गया था। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैण्ड के 'अशांत क्षेत्रों' में तैनात सैन्य बलों को प्रारम्भ में इस विधि के अन्तर्गत विशेष शक्तियाँ प्राप्त थीं। कश्मीर घाटी में आतंकवादी घटनाओं में बढोतरी होने के बाद जुलाई 1990 में यह विधि सशस्त्र बल (जम्मू एवं कश्मीर) विशेष शक्तियाँ अधिनियम, 1990 के रूप में जम्मू-कश्मीर में भी लागू किया गया।
- AFSPA एक ऐसा अधिनियम है जो सशस्त्र बलों को बिना वारंट के गिरफ्तार करने और यहां तक कि 'अशांत क्षेत्रों' में विशिष्ट परिस्थितियों में गोली मारने की शक्ति देता है। यह अधिनियम सशस्त्र बलों को "अशांत क्षेत्रों" में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष शक्तियां प्रदान करता है।
- एक बार जब क्षेत्र को 'अशांत' घोषित कर दिया जाता है, तो उसे अशांत क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1976 के अनुसार कम से कम 6 महीने तक यथास्थिति बनाए रखनी होती है।

## AFSPA के अंतर्गत राज्य

- जब कुछ राज्यों में आतंकवाद का प्रभाव था, उस दौरान पूर्वोत्तर राज्यों, पंजाब और जम्मू-कश्मीर पर AFSPA लगाया गया था।
- पंजाब इस अधिनियम को निरस्त करने वाला पहला राज्य था। इसके बाद त्रिपुरा और मेघालय का स्थान है।
- वर्तमान में, यह अधिनियम नागालैंड, असम, मणिपुर, जम्मू-कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू है।
- असम में, तीन जिले और चार पुलिस स्टेशन इस अधिनियम के तहत हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मार्च 2018 में मेघालय से AFSPA को पूरी तरह से हटा दिया था। 2018 और 2019 के दौरान अरुणाचल प्रदेश के कई पुलिस स्टेशनों से भी AFSPA को हटा दिया गया था।

## विभिन्न संस्थाओं के AFSPA पर विचार

### संयुक्त राष्ट्र

- 23 मार्च 2009 को, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त नवनेथेम पिल्ले ने भारत से AFSPA को निरस्त करने के लिए कहा। उन्होंने कानून को "औपनिवेशिक युग का कानून कहा जो समकालीन अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का उल्लंघन करता है।"

- 31 मार्च 2012 को, संयुक्त राष्ट्र ने भारत से AFSPA को यह कहते हुए रद्द करने के लिए कहा कि, भारतीय लोकतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं है। यह अंतरराष्ट्रीय कानून का भी उल्लंघन है।

## जस्टिस जीवन रेड्डी आयोग

आयोग ने AFSPA को निरस्त करने की सिफारिश की क्योंकि "यह अधिनियम घृणा, उत्पीड़न और वर्चस्व के साधन का प्रतीक है"। इसने 2005 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। भारत सरकार ने AFSPA को निरस्त करने के लिए न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी आयोग द्वारा की गई सिफारिश को खारिज कर दिया।

## दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग

- दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) ने "सार्वजनिक व्यवस्था" पर अपनी पांचवीं रिपोर्ट में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, 1958 को निरस्त करने की सिफारिश की। इसने टिप्पणी की कि इसे समाप्त करने से पूर्वोत्तर भारत के लोगों के बीच भेदभाव और अलगाव की भावना दूर हो जाएगी।
- आयोग ने उत्तर पूर्वी राज्यों में संघ के सशस्त्र बलों को तैनात करने के लिए एक नया अध्याय सम्मिलित करते हुए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 में संशोधन करने की सिफारिश की।
- इसने शासन के समावेशी दृष्टिकोण में निहित पुलिस और आपराधिक न्याय के एक नए सिद्धांत का समर्थन किया।

## भारत का सर्वोच्च न्यायालय

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि AFSPA की आड़ में सशस्त्र बलों द्वारा की गई किसी भी मुठभेड़ की गहन जांच की जानी चाहिए।
- सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में "इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पीड़ित एक आम व्यक्ति था या आतंकवादी, न ही इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमलावर एक आम व्यक्ति था या राज्य। कानून दोनों के लिए समान है और समान रूप से है दोनों के लिए लागू।
- यह लोकतंत्र की आवश्यकता है और कानून के शासन के संरक्षण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण की आवश्यकता है।"

## AFSPA के पक्ष और विपक्ष में तर्क

### पक्ष:

इस कानून के समर्थकों का कहना है कि सशस्त्र बल आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में और इस कानून द्वारा प्रदत्त शक्तियों के कारण देशद्रोह के मामलों में प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम हैं। इस प्रकार यह कानून देश की एकता और अखंडता की रक्षा में योगदान दे रहा है। इस कानून के प्रावधानों ने अशांत क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस कानून के माध्यम से प्रदान की गई अतिरिक्त शक्तियों के कारण सशस्त्र बलों का मनोबल बढ़ा है।

### विपक्ष:

इस कानून के माध्यम से प्रदत्त शक्तियों का सशस्त्र बलों द्वारा दुरुपयोग किया जाता है। सशस्त्र बलों में निहित अत्यधिक शक्तियां उन्हें असंवेदनशील और गैर-पेशेवर बनाती हैं। उन पर फर्जी एनकाउंटर, यौन उत्पीड़न आदि के आरोपों का भी सामना करना पड़ रहा है।

- एक ओर यह 50 वर्षों से अधिक समय में वांछित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका, दूसरी ओर इसके कारण होने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं को देखते हुए इसकी समीक्षा करना आवश्यक हो गया है।
- यह कानून मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के साथ-साथ नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित करता है, जिससे लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होती हैं।
- इसके लागू होने के दशकों बाद भी अशांत क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बहाल करने में यह सफल नहीं रहा है, इसलिए इसे हटा दिया जाना चाहिए।

## निष्कर्ष

सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम की समकालीन परिवर्तित वातावरण में समीक्षा की जानी चाहिए एवं जिन राज्यों या क्षेत्रों में इसमें ढील दी जा सकती है वहां ऐसा किया जाना चाहिए। क़ानून और व्यवस्था तथा आतंरिक सुरक्षा के संकट को विभिन्न माध्यमों जैसे संस्थानिक और गैर-सरकारी प्रयास, कम्युनिटी पुलिसिंग,संवेदनशीलता प्रशिक्षण इत्यादि की द्वारा समाधान किया जाना चाहिए । दीर्घकालिक रूप से इस क़ानून को कैसे समाप्त किया जाए और कौनसे वैकल्पिक माध्यम विकसित किये जायें, उन पर विचार होना चाहिए ।

**मुकुंद माधव शर्मा**

YOJNA IAS